भास्कर इन्वेस्टिगेशन • पुणे में इस साल 1.37 अरब का फाइनेंशियल फ्रॉड, बिहार में 5 साल में 28.17 करोड़ का ट्रेडिंग स्कैम

बड़ी कंपनियों में निवेश के नाम पर ट्रेडिंग स्कैम का नया ट्रेंड, सैकड़ों लोग हुए शिकार

सना एजाज | पटना

साइबर अपराध का नया ट्रेंड सामने आया है। वे अब बड़े उद्योगपतियों और इंस्ट्रीज में निवेश के नाम पर लोगों को शिकार बना रहे हैं। पटना के जगनपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति से फेसबुक के जरिए जेफरिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के बहाने 53 लाख की ठगी कर ली गई। दूसरी ओर पुणे में एक चार्टेड अकाउंटेंट संदीप टुपकारी से रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 4 करोड़ की ठगी कर ली गई। टुपकारी साइबर अपराधियों के इकलौते शिकार नहीं है। उनके साथ करीब दो सौ लोगों से अंबानी के नाम पर पैसे ठग लिए गए। इन मामलों की शिकायत पटना और पुणे के साइबर सेल में दर्ज कराई गई है।

ठगी के लिए प. बंगाल, हरियाणा और राजस्थान के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल

ऐसे ग्रुप बनाकर हो रही है ठगी।

ऐसे हो रहा ट्रेडिंग स्कैम

साइबर फ्रॉड के इस नए तरीके की पड़ताल के दौरान भास्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ट्रेडिंग के कुछ एक्टिव ग्रुप को खोज निकाला। उनसे जुड़ने की पेशकश की और फिर ग्रुप में शामिल होकर उनके काम-काज के तरीकों की पड़ताल की। ग्रुप के एडमिन ने शर्त रखी-पहले 26000 से 30000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद वे हमें 30000 का बेनिफिट देंगे। ग्रुप में शामिल गिरोह के अन्य सदस्य ट्रेडिंग में हुए मुनाफे और पैसा निकालने का फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। लोगों को झांसे में लेने का यह उनका तरीका है। सर्च के दौरान हमें कई तरह के ग्रुप मिले। कुछ ग्रुप फ्री थे। कुछ ऐसे ग्रुप भी थे जिनमें शामिल होने के लिए ग्रुप का सब्सक्रिप्शन खरीदने की शर्त थी। इसकी फीस 14999 रुपए थी। हालांकि यह तय नहीं था कि पेमेंट के बाद भी हमें ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा।

केस 1 पटना के जगनपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति को फेसबुक के उपयोग के दौरान जेफरिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का विज्ञापन दिखा। फेसबुक पेज के लिंक पर क्लिक कर वेबिनार से जुड़ने के बाद जेईएपएफ सीपीपीआरओ एप पर खाता खोलने पर 20 प्रतिशत लाभ का ऑफर दिया गया। उन्होंने झांसे में आकर ऐप पर खाता खोल 53 लाख रूपया निवेश किया और ठगी के शिकार हो गए।

केस 2 पुणे के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप से 4 करोड़ की ठगी की गई है। फेसबुक पर उन्होंने एक लिंक पर क्लिक किया था जिसमें बताया गया था कि मुकेश अंबानी एक संस्था खोल रहे हैं जो भारतीय निवेशकों का पैसा बढ़ाने में मदद करेगा। लिंक खुलने के बाद साइन अप करने को कहा गया फिर मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। जहां पर फ्रॉड नकली स्क्रीन शॉट भेजकर लोगों को गुमराह कर रहे थे।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट-पुलिस

जितने केस रिपोर्ट हो रहे हैं उतने रजिस्टर नहीं किए जा रहे हैं। बैंकों के नोडल ऑफिसर्स के लिए किसी तरह की पॉलिसी नहीं है। जिसकी वजह से वक्त पर पुलिस के भेजे मेल का रिप्लाई बैंक नहीं करता। इस तरह के मामले को जल्दी सॉल्व करने के लिए नेट बैंकिंग आईपी एड्रेस का लॉग अगर बैंक सही समय पर दे तो पता लगाया जा सकता है कि इस वक्त उस अकाउंट का नेट बैंकिंग कौन इस्तेमाल कर रहा है और कहां से। कई बार तो इस तरह के केसेस में पुलिस भी सेटलमेंट कर लेती है।

-साइबर एक्सपर्ट, मुकेश चौधरी

सबके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। हमने बैंक को और व्हाट्सएप को लेटर भेजा है। ज्यादातर पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जा रहा है।

-सुरेश शिन्दे, सीनियर इंस्पेक्टर पुणे साइबर सेल

ताजमहल पर सावन में जलाभिषेक करने की मांग

आगरा | सावन के महीने में ताजमहल पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने की अनुमति मांगी गई है। इस बारे में अदालत में एक याचिका दायर की गई है। याचिका योगी यूथ ब्रिगेड की तरफ से दायर की गई है। याचिकाकर्ता योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर का कहना है कि ताजमहल तेजोमहालय है। भगवान शिव का मंदिर है। इसमें जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक होना चाहिए। ताजमहल में उर्स की अनुमति भी तो दी जाती है। तो जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक क्यों नहीं हो सकता ? याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. राजकुमार पटेल को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता कुंवर अजय तोमर ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद को समन और नोटिस जारी करने के आदेश दिए।

भास्कर स्टिंग • सोनपुर में एक ही परिवार के लोग जाली डिग्री बना रहे

डिग्री फैक्ट्रीः सुबह तक अनपढ़... 2 हजार में शाम तक ग्रेजुएट हो जाएंगे

ज्योति कुमार निराला | हाजीपुर

बिहार का एक गांव है, जहां सुबह कोई अनपढ़ पहुंचे तो शाम तक ग्रेजुएट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं सोनपुर पहलेजा के पास गांव के एक टोले की। यहां 40 साल पहले जंगली बैठा नाम के एक व्यक्ति ने जाली सर्टिफिकेट बनाने का काम शुरू किया था। आज उसके परिवार के करीब सौ से ज्यादा लोग इस काम में लगे हैं। यहां डिग्रियों को पूरा मेन्यू कार्ड ही है। दैनिक भास्कर को इसकी जानकारी मिली तब इस पूरे खेल का भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया। इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने के लिए ज्योति कुमार निराला ने पैसे देकर खुद के ही ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट बनवाया। पूरी प्रक्रिया को कैमरे में कैद किया। इस गांव में जैसे ही भास्कर की टीम पहुंची बाइक रुकते ही आसपास के लोग पहुंचने लगे। सबने कहा क्या बनवाना है? लेकिन भास्कर टीम को इस धंधे के मुखिया यानी जंगली बैठा के घर जाना था। पास के घर से जंगली बैठा का पोता नीरज बाहर आया तब हमने उससे कहा कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बनाना है। वह अपने साथ हमे एक छोटे कमरे में ले गया जहां एक बड़े डब्बे में तमाम तरह के सील व मोहर रखे थे।

धंधेबाज का दावा... 20 साल पहले यहीं से बने जाली सर्टिफिकेट पर सैकड़ों लोगों ने रेलवे में नौकरी पाई

सिग्नेचर कॉपी करता जालसाज। ब्योरा भरता दूसरा जालसाज और हू-ब-हू बना जाली सार्टिफिकेट।

डिग्री के दाम

मैट्रिक	1000
इंटमीडिएट	1500
ग्रेजुएशन	1700
मास्टर डिग्री	2500
नर्सिंग	1000
पारा मेडिकल	1200
जमीन का रसीद	500
जमीन का पेपर	2000
जाली स्टांप	2000
बीएड	2500
डीएलएड	2000
एमबीए	2500

जालसाज से ऐसे हुई बातचीत

जालसाज- क्या बनवाना है?

भास्कर- ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बन जाएगा?

जालसाज- किस यूनिवर्सिटी से और कौन से विषय का?

भास्कर-बॉटनी ऑनर्स का, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से।

जालसाज-आरएन कॉलेज का या जमुनीलाल कॉलेज का?

भास्कर- जमुनीलाल का बना दीजिए।

जालसाज-ठीक है तीनों पार्ट का एडमिट कार्ड, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी का ऑरिजनल और मार्कशीट का 25 सौ रुपए लगेगा।

भास्कर- कुछ कम कर दीजिए इतना नहीं दे पाएंगे।

जालसाज-ठीक है 2 हजार दे दीजिएगा। (अंत में 17 सौ पर डील फाइनल हुई)

भास्कर-और क्या बना दीजिएगा?

जालसाज-कुछ भी बनवा लीजिए। किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी तरह के कोर्स का डिग्री एकदम ऑरिजनल की तरह हमलोग बनाते हैं। शेष पेज-11 पर

जिस पेपर पर बनाते वह ओरिजनल | यहां के धंधेबाज जिस पेपर को डिग्री बनाने में इस्तेमाल करते हैं वह उस यूनिवर्सिटी का ओरिजनल होता है। या तो इनका कनेक्शन पेपर छापने वाली कंपनी से है या विवि के कर्मी से। मार्कशीट हो या कॉलेज का एडमिट कार्ड सब पेपर एकदम हू-बहू। वाटर मार्क भी इस पर होता है।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बदले पैकेज थमा दियाः राबड़ी देवी

पटना | बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को विधान परिषद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधान परिषद में विपक्ष विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार का लगातार विरोध करता रहा। इससे पहले विधान परिषद के परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट में बिहार व आंध्रप्रदेश के लिए पैसे आवंटित किए हैं। बजट 2024 में पूरे देश की अनदेखी की है। सीएम नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने केवल उन्हें एक पैकेज थमा दिया।

विशेष पैकेज से राजद और कांग्रेस मुद्दाविहीन : तारकिशोर प्रसाद

पटना | पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि केंद्र की ओर से बजट में बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है। बजट में सबसे अधिक धनराशि बिहार को दी गई है। सड़क, पर्यटन, ऊर्जा, बाढ़ सहित सभी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। ऐसे में अब राजद और कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इसकी वजह से अब महागठबंधन के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं।

गया : सात बच्चों के 70 वर्षीय पिता ने 25 साल की युवती से शादी रचाई

गुरुआ | गुरुआ प्रखंड के वैदा गांव के 70 वर्षीय किसान मो.कलीमुल्लाह नूरानी ने आमस के हमजापुर गांव की रहने वाली 25 वर्षीय रेशमा से धूमधाम से शादी रचाई। ग्रामीणों ने बताया कि 70 वर्षीय कलीमुल्लाह नूरानी का एक पुत्र व छह पुत्री हैं। पांच बेटियां ससुराल में रहती हैं और एक 25 वर्षीय बेटी की शादी नहीं हुई है। इनका इकलौता पुत्र मो. हसन दुकान चलाता है। कलीमुल्लाह की पत्नी का चार वर्ष पहले इंतकाल हो गया था। वे अकेलापन महसूस कर रहे थे। छह महीने से वह समाज में अपनी उम्र 50 वर्ष बता जीवन साथी खोज रहे थे। इसी बीच इनकी नजर रेशमा परवीन पर पड़ी। परिवार की सहमति से दोनों की शादी हुई।

एनआईए ने मैक्लुस्कीगंज और निंद्रा में व्यवसायियों के यहां दी दबिश

टेरर फंडिंग मामले में नक्सली रवींद्र गंझू से जुड़े ठिकानों पर छापे, 36 लाख रुपए कैश मिले

क्राइम रिपोर्टर | रांची

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को टेंडर फंडिंग मामले में कुख्यात नक्सली रवींद्र गंझू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए ने मैक्लुस्कीगंज स्थित जितेंद्र नाथ पांडेय और रोहित यादव के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान रोहित के आवास से 36.30 लाख रुपए कैश बरामद हुए। टीम ने रोहित और जितेंद्र का मोबाइल भी जब्त कर लिया।

जांच एजेंसी की टीम सुबह पांच बजे ही पहुंच गई थी। टीम ने जितेंद्र के मैक्लुस्कीगज स्थित आवास और ईंट भट्ठा कारोबारी रोहित यादव के घर व भट्ठे पर करीब सात घंटे तक तलाशी ली। एनआईए को सूचना मिली थी कि ये व्यवसायी रवींद्र गंझू के लेवी व रंगदारी के रुपयों का निवेश करते हैं और उसका लाभ गंझू को पहुंचाते हैं। ये दोनों लगातार गंझू के संपर्क में रहते हैं।

रोहित बोला- रुपए व्यवसाय के, एक-एक पैसे का है हिसाब

छापेमारी के बाद रोहित ने कहा कि ये रुपए व्यवसाय के हैं। उनके पास एक-एक पैसे का हिसाब है। उन्होंने जांच एजेंसी को भी पूरा हिसाब दिया, इसके बावजूद उनके घर से मिले सारे रुपए जब्त कर लिए गए। वहीं जितेंद्र पांडेय ने कहा कि उनका किसी भी नक्सली या अपराधी से कोई संबंध नहीं है। जांच टीम को भी उनके घर से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिले हैं।

वाराणसी : नकली क्राइम ब्रांच का सरगना असली दरोगा गिरफ्तार

वाराणसी | वर्दी की आड़ में दरोगा ही लूट का गिरोह चला रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि दरोगा ने 4 शातिर युवकों के साथ नकली 'स्पेशल क्राइम ब्रांच' बनाई और हाईवे पर लूट की वारदात शुरू कर दी। दोस्त रेकी करते थे। फिर दरोगा साथियों के साथ छापेमारी करता और जब्त माल को आपस में बांट लेते थे। आरोपी दरोगा की पहचान सूर्य प्रकाश पांडे के रूप में हुई है। पुलिस ने दरोगा और उसके 2 साथियों को हिरासत में लिया। 40 घंटे तक पूछताछ की। दरोगा से अब तक 8 लाख बरामद हो चुके हैं।

ड्राइवर की तलाश में ओसामा के घर छापा

सीवान | नगर थाना क्षेत्र के नया किला स्थित दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के घर पर बुधवार की दोपहर बंगाल पुलिस ने एसटीएफ व स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी की। टीम को रानीगंज में हुई डकैती के मामले में ओसामा शहाब के ड्राइवर की तलाश थी। हालांकि, यहां पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा और छापामारी टीम बैरंग ही लौट गई। बताते हैं कि पुलिस जिस बदमाश को तलाश रही थी वह फरार हो गया था।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन– ध्येय है
ੴ श्री वाहिगुरु जी की फ़तह
पी.एस.बी
Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

बी.ओ. :- डी.एस.एस. 102, मिनी हुडा मार्केट, सेक्टर-31, गुड़गांव, फोन : 0124-2380616, ई-मेल : g1144@psb.co.in

अनुच्छेद IV [देखें नियम 8(1)] कब्जे की सूचना
सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत (अचल संपत्ति के लिए)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत सूचना दी जाती है और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम सं. 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे तालिका में उल्लिखित तारीख को धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया जाता है और इसके बाद उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने का आह्वान किया जाता है। चूंकि उधारकर्ता(ओं) ने राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता(ओं) गारंटर(ओं) और आम जनता को सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियम क्र. 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन **पंजाब एंड सिंध बैंक बी.ओ : डी.एस.एस. 102, मिनी हुडा मार्केट, सेक्टर-31, गुड़गांव** के प्रभार के अधीन होगा, जिसके अंतर्गत नीचे दी गई राशि के साथ-साथ भविष्य में उस पर ब्याज, लागत और अन्य व्यय आदि शामिल होंगे।

खाते का नाम/उधारकर्ता/गारंटर	अचल संपत्ति का विवरण	बकाया राशि (जैसा कि धारा 13(2) के तहत नोटिस में उल्लिखित है)	नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि
(1) श्री जपतिंदर पाल सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह (उधारकर्ता), (2) श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री आशा सिंह (सह-उधारकर्ता) (3) श्रीमती शरणजीत कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह (गारंटर) एवं श्रीमती सिमरनप्रीत कौर पत्नी श्री जपतंदर पाल सिंह (गारंटर)	**अचल संपत्ति का विवरणः** न्यू सुभाष नगर, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित 114 वर्ग गज के आकार वाली, बंधक अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल हाउस प्लॉट नंबर 550/7 (पुराना) और 505/11 (नया) है, जो श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री आशा सिंह का है। टाइटल डीड का विवरण- सिविल जज द्वारा केस नंबर 316 दिनांक 04.11.2011 के तहत पारित न्यायालय का आदेश तथा वसीका नंबर 27613 दिनांक 30.12.2011 के तहत् गुड़गांव के उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत। **संपत्ति की सीमा इस प्रकार है - पूर्वः** अमृत पाल सिंह का घर, **पश्चिमः** ओम प्रकाश बागड़ी का घर, **उत्तरः** पेडा राम का घर जो अब लाला राम सैनी है, **दक्षिण** : रोड श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री आशा सिंह का है।	**रु.2,98,891.84 (रुपये दो लाख अट्ठानबे हजार आठ सौ इक्यानवे और पैसे चौरासी मात्र) - 30.04.2024 तक गृह ऋण, साथ में भविष्य में लागू होने वाला ब्याज, सभी व्यय, लागत, शुल्क आदि।**	02.05.2024	20.07.2024
(1) श्रीमती संतोष पत्नी श्री वेद राम (उधारकर्ता), (2) दीपक पुत्र श्री वेद राम (सह-उधारकर्ता) (3) विक्रम पुत्र वेद राम (गारंटर)	**अचल संपत्ति का विवरणः** बंधक अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, जिसका नाम मकान नंबर 119-ए, नया नंबर 137/8, एमसीजी नंबर 772 है, जिसका क्षेत्रफल 70 वर्ग गज है, जो खसरा नंबर 1301/89-1303/90 में आता है, विजय पार्क, वार्ड नंबर 13, गुड़गांव में स्थित है, जो श्रीमती संतोष पत्नी श्री वेद राम की है। संपत्ति उप रजिस्ट्रार, गुड़गांव के कार्यालय में रिलीज डीड नंबर 11913 दिनांक 13.08.2015 के अनुसार पंजीकृत है **और इसकी सीमा पूर्वः** सड़क, **पश्चिमः** अन्य संपत्ति, **उत्तरः** सड़क, **दक्षिणः** अन्य संपत्ति है।	**30.04.2024 तक रु.17,21,872.01 (रुपये सत्रह लाख इक्कीस हजार आठ सौ बहत्तर और पैसे एक मात्र) साथ में भविष्य में लागू होने वाला ब्याज, सभी व्यय, लागत, शुल्क आदि।**	02.05.2024	20.07.2024
(1) श्री पंकज जांघू पुत्र श्री राजेश जांघू (उधारकर्ता), (2) श्रीमती सोनिया पत्नी श्री पंकज जांघू (सह-उधारकर्ता) (3) श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री राजेश जांगू (गारंटर)	**अचल संपत्ति का विवरणः** बंधक अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, जिसका नाम मकान नंबर 5963 है, जिसका क्षेत्रफल 135 वर्ग गज है। खसरा संख्या 95 और 96 में स्थित, राजेंद्र पार्क मेन रोड, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित, श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री राजेश जांगू की संपत्ति है। संपत्ति उप-पंजीयक कार्यालय, गुड़गांव में दिनांक 20.06.2012 को रिलीज डीड संख्या 3101 के अनुसार पंजीकृत है **और इस प्रकार से घिरी हुई हैः पूर्वः** सड़क, **पश्चिमः** नरेंद्र सिंह की संपत्ति, **उत्तरः** अन्य संपत्ति **दक्षिणः** अन्य संपत्ति	**30.04.2024 तक रु.21,93,864.64 (रुपये इक्कीस लाख तिरानबे हजार आठ सौ चौसठ और पैसे चौरासी मात्र) साथ में भविष्य में लागू होने वाला ब्याज, सभी व्यय, लागत, शुल्क आदि।**	02.05.2024	20.07.2024

दिनांक : 25.07.2024 | स्थान : गुड़गांव | प्राधिकृत अधिकारी (पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
कॉर्पोरेट पहचान संख्या- L65110MH1985PLC038137
पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051,
ब्रांच ऑफिस : दूसरी मंजिल, अम्बादीप बिल्डिंग, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001

अचल संपत्ति की ई-नीलामी सह बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित। इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं), गारंटर (ओं) तथा/या बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति(याँ) जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ("प्रतिभूत ऋणदाता") के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा 21.05.2024 को सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है जैसा है"** के आधार पर तथा **"जो भी आधार हो"** ई-नीलामी के माध्यम से **30.08.2024** को बेचा जाएगा, **दिनांक 14.12.2018 तक रु. 25,51,09,036.77 (पच्चीस करोड़ इक्यावन लाख नौ हजार छत्तीस और सतहत्तर पैसे मात्र)** की वसूली के लिए, साथ ही उस पर चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर संविदात्मक दरों पर ब्याज, लागत और अन्य शुल्क, सुरक्षित लेनदार होने के नाते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को देय भुगतान/वसूली तक, उधारकर्ता/ओं अर्थात **मेसर्स एफिनिटी ब्यूटी सैलून प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता)** और **1. श्रीमती विजय कालिया (गारंटर और/या बंधककर्ता), 2. श्री अशोक कुमार कालिया** (गारंटर और/या बंधककर्ता) से। नीलामी के लिए रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/वर्णन, आरक्षित मूल्य, बयाना राशि और नीलामी अनुसूची नीचे उल्लिखित हैः

गिरवी रखने वाले का नाम	ई-नीलामी के लिए रखी गई अचल/चल संपत्ति का विवरण	ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य (रु.) / बयाना जमा राशि (ईएमडी) (रु.)
श्रीमती विजय कालिया	संपूर्ण भूतल संपत्ति संख्या 38, पैकेट संख्या 52, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली, जिसका स्वामित्व श्रीमती विजय कालिया के पास है संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो आवासीय है, संपूर्ण भूतल भाग (उक्त तल), संपत्ति संख्या 38 पर निर्मित, पॅकेट संख्या 52 में, 125.00 वर्ग गज क्षेत्रफल, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में स्थित, जिसका स्वामित्व श्रीमती विजय कालिया पत्नी श्री अशोक कुमार कालिया के पास है, साथ ही उस पर मौजूद सभी इमारतें और संरचनाएं और संबंधित बंधक की तिथि से/उसके बाद किसी भी समय वहां बनाए/निर्मित किए जा सकने वाले भवन और संरचनाएं और उसमें सभी परिवर्धन और सभी जुड़नार और फर्नीचर और संयंत्र और मशीनरी जो वर्तमान और भविष्य में धरती से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई है। निम्नानुसार सीमाबद्धः- उत्तरः भूखंड संख्या 37, पूर्वः सड़क, दक्षिणः प्लॉट नं. 39, पश्चिमः प्लॉट नं. 33	29.08.2024	30.08.2024 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।	रु. 1,35,00,000/- (रुपए एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र) / रु. 13,50,000/- (रुपए तेरह लाख पचास हजार मात्र)

नीचे हस्ताक्षरकर्ता अपने पूर्ण विवेक से तथा संभावित खरीदारों के अनुरोध पर, अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 16.08.2024 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:30 बजे के बीच उक्त संपत्ति का निरीक्षण करवा सकते हैं।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:

1. ई-नीलामी केवल **30.08.2024** को वेबसाइट **www.bankeauctions.com** के माध्यम से **"ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली"** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, इच्छुक बोलीदाता **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क व्यक्ति **श्री धरणी कृष्णा-99481-82222, ईमेलः andhra@c1india.com और support@bankeauctions.com। हेल्पलाइन नंबर +91-12443020201 2021 2022 2023 2024। सहायता मोबाइल नंबर +91-7291981124\25\26।**
2. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियमों और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** पर जा सकते हैं।
3. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को **https://www.bankeauctions.com** पोर्टल पर जाने की सलाह दी जाती है और उक्त नियम और शर्तें बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होंगी।
4. इच्छुक बोलीदाता/ओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** से लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है।
5. बोली फॉर्म को निर्धारित प्रारूप में भरना होगा और इसे बोलीदाता/ओं के केवाईसी दस्तावेजों के साथ **29.08.2024 को शाम 4:00 बजे** तक पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर ऑनलाइन जमा/अपलोड करना होगा और बोलीदाता/ओं के विधिवत भरे और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों और केवाईसी की स्कैन की गई प्रतियां **vikram.sharma@kotak.com** पर मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। बोलीदाता को ईमेल का विषय लिखना होगा **"मेसर्स एफिनिटी ब्यूटी सैलून प्राइवेट लिमिटेड के खाते में आवासीय संपत्ति की खरीद के लिए।"**
6. संभावित बोलीदाता ऊपर बताए गए संपर्क नंबरों पर मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
7. बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से **खाता संख्या 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोडः KKBK0000958** में **29.08.2024** को या उससे पहले शाम 4.00 बजे तक जमा की जाएगी। एनईएफटी/आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर केवल इच्छुक बोलीदाता/ओं के खाते से ही किया जाएगा। ईएमडी जमा करने और/या बोली दस्तावेज जमा करने में देरी की स्थिति में किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली में भागीदारी और आपसी बोली प्रक्रिया को अधिकतम करने के लिए, प्राधिकृत अधिकारी, अपने विवेकानुसार और अपनी संतुष्टि के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को कोई खुलासा किए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोलियों को स्वीकार कर सकता है। ईएमडी राशि जमा किए बिना प्रस्तुत की गई कोई भी बोली स्वतः ही अस्वीकृत हो जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
8. प्रस्तुत की जाने वाली बोली की कीमत आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को **2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये)** के गुणकों में अपनी आगे की पेशकश में सुधार करना होगा।
9. यदि कोई बोली ई-नीलामी कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
10. सफल बोलीदाता को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही के समापन पर तुरन्त उच्चतम बोली राशि (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) का 25% जमा करना होगा या यदि ई-नीलामी के दिन व्यावसायिक समय बंद है तो अगले कार्य दिवस पर, ऊपर बताए गए तरीके से। उच्चतम बोली राशि का शेष 75% उस तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा जिस दिन बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि ऐसे सफल बोलीदाता को दी जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि जो प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर और SARFAESI अधिनियम, 2002 और सुरक्षा हित नियम, 2002 के प्रावधानों के भीतर होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और सफल नीलामी क्रेता को किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में फोर्स मेजर का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
11. उच्चतम बोली लगाने वाले को संपत्